प्रेस नोट दि0-30.06.2025

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस की तत्परता – ट्यूबवेल पंखा चोरी का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार, ट्यूबवेल पंखा बरामद”-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत सतभइयन मजार के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना मानिकपुर ग्राम झाऊ लाल का पुरवा स्थित दुकान से वादी का ट्यूबवेल से पानी निकलने वाला पंखा चोरी हो गया था। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-28.06.2025 को थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0-125/2025 धारा-303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व नें उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय उ0नि0 शिशिर पटेल, उ0नि0 मो॰ नदीम खान मय हमराह का0 अनुज कुमार, का0 दर्वेश कुमार व का॰ राजेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-125/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त करमचंद पटेल पुत्र राम आधार पटेल निवासी ग्राम वासुदेव का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के 01 अदद ट्यूबवेल से पानी निकलने वाला पंखा के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत सतभइयन मजार के पास से गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस एक्सल को अन्तर्गत धारा-207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. करमचंद पटेल पुत्र राम आधार पटेल निवासी ग्राम वासुदेव का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त ट्यूबवेल से पानी निकालने वाले पंखे को मैंने परसों रात में झाऊलाल का पुरवा से एक दुकान के बरामदे से चोरी किया था। जिसे आज कबाड़ी वाले को बेचने जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

बरामदगी-
चोरी का 01 अदद ट्यूबवेल से पानी निकलने वाला पंखा बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय उ0नि0 शिशिर पटेल, उ0नि0 मो॰ नदीम खान मय हमराह का0 अनुज कुमार, का0 दर्वेश कुमार व का॰ राजेश कुमार थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

हत्या के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को कोतवाली नगर पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अन्दर किया गिरफ्तार — घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद

हत्या के अभियोग में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सतर्कता व सक्रियता से की गई त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप मात्र 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फरार हत्या के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

अभियुक्त को कांशीराम कॉलोनी जोगापुर के पास से कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार, निशानदेही पर कुल्हाड़ी बरामद की गई ।

अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर वृद्ध की हत्या, नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक- 29.06.2025 को वादी निवासी ग्राम बैजलपुर थाना अन्तू के पिता थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम संग्रामपुर गोंडे के खेतो में बकरियां चरा रहे थे । उसी शाम को वादी के चचेरा भाई कल्लू उर्फ अजीत कोरी पुत्र रामदास द्वारा वादी के पिता के पास गया व उन्हे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर दिया व धमकी देते हुए भाग गया। जिससे वादी के पिता को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 293/25 धारा 105/352/351 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्थानीय पुलिस को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सतत रूप से संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर हत्या के अभियोग में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सतर्कता व सक्रियता से की गई त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप मात्र 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 पुष्पराज सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र व का0 हेमन्त द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 293/25 धारा 105/352/351 (2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 रामदास कोरी निवासी बैजलपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत कांशीराम कालोनी जोगापुर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजीत कुमार उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 रामदास कोरी निवासी बैजलपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 पुष्पराज सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र व का0 हेमन्त थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

फिरौती हेतु अपहरण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार – घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल बरामद-

अभियुक्त को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत चौरही ओबरब्रिज के नीचे सर्विश रोड के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है ।
दिनांक 18.06.2025 को थाना नवाबगंज पर एक 10 वर्षीय बालक के अपहरण व ₹5 लाख फिरौती मांगने की सूचना प्राप्त हुई थी। अपहरणकर्ता द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए धन की मांग की गई थी । मात्र 06 घंटे में अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक- 18.06.2025 को वादी थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत जुगई का पुरवा कड़रौ द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दी गई थी कि उसका पुत्र उम्र करीब 10 वर्ष जो रात्रि 20.00 बजे से गायब है एवं वादी के मोबाइल नम्बर पर समय लगभग 23.11 बजे संदिग्ध फोन आया एवं अज्ञात व्यक्ति द्वारा पैसा माँगा गया था । फोन करने वाले ने गाली देते हुए बताया कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है । सुबह तक 5 लाख रुपये की व्यवस्था कर देना । नहीं तो उसकी हत्या कर दूंगा । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/25 धारा 137(2),140(2),351(4),352, 61(2)a बीएनएस बनाम मोबाइल नं0 नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था । पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में थाना स्तर पर टीमें व स्वाट /सर्विलांस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता 01 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था ।

इसी क्रम में आज दिनांक- 30.06.2025 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उ0नि0 राजनारायण सिंह, हे0का0 इंदल यादव, का0 विपिन चौधरी का0 रवि सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी एनालिसिस और इनपुट बेस्ड ऑपरेशनल ट्रेसिंग के माध्यम से थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 87/25 धारा 137(2),140(2),351(4),352,61(2)a बीएनएस से संबंधित 01 अन्य अभियुक्त रितिक यादव उर्फ अनूप यादव पुत्र लालचन्द्र यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम अगोरी की बाजार (लरू) थाना कुण्डा

जनपद प्रतापगढ को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत चौरही ओबरब्रिज के नीचे सर्विश रोड के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त का पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त रितिक यादव उर्फ अनूप उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मै शिवम पटेल को लगभग 9-10 माह से जानता हूं उसके चाचा की दुकान कुण्डा मे है । वहीं पर मेरी शिवम से मुलाकात हुई और हम दोने एक दुसरे के गहरे दोस्त बन गये । शिवम ने कास्मेटिक की दुकान खोली थी, जिसमे लगभग 6 लाख का घाटा हो गये था । तब शिवम ने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर मेरे मामा के पुत्र का अपहरण कर लेते है और उनसे पांच लाख रूपया फिरौती ले लेंगे । जिसमे दोनो लोग रूपये बांट लेंगे। मै लालच मे आ गया था और मैने व शिवम पटेल ने सुनियोजित तरीके से शिवम पटेल के मामा के पुत्र का दिनांक 18.06.25 को अपहरण कर लिया । उस समय मै महाराष्ट्र मे था। रात मे मैने कान्फ्रेंस काल के माध्यम से शिवम के मामा सूरेश पटेल से गालियां देते हुये पांच लाख फिरौती की मांग की थी । पैसा न देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी । उस दिन शिवम पटेल ने मुझे अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पर काल किया था ।यह वही मोबाइल है तथा उसके पीछे वही सिम रखी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रितिक यादव उर्फ अनूप यादव पुत्र लालचन्द्र यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम अगोरी की बाजार (लरू) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ ।

बरामदगी-
01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया ।

पुलिस टीम-
पुलिस टीम थाना नवाबगंज- वरिष्ठ उ0नि0 राजनारायण सिंह, हे0का0 इंदल यादव, का0 विपिन चौधरी का0 रवि सिंह ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

एसटीएफ प्रयागराज व थाना पट्टी पुलिस की बड़ी कामयाबी— ₹50,000/- के इनामी अपराधी गुफरान उर्फ छंगू गिरफ्तार-

अभियुक्त पर ₹50,000/- का पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा किया गया था घोषित
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर से थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कलियनापुर नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
अभियुक्त पर जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ़ मे हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धमकी जैसे संगीन लगभग 01 दर्जन अपराध दर्ज है
थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत करैला बाजार में हुयी फायरिंग की घटना में 04 व्यक्तियों को गोली लगने से घायल हो गये थे, जिसमें अभियुक्त लगातार वांछित चल रहा था ।

प्रतापगढ़

दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में वादी के भाई एवं चचेरे भाई पर पूर्व विवाद को लेकर शहबाज उर्फ लम्बू, रुकसार, शहरेयार, छंगू, शाहनवाज, जलालुद्दीन आदि द्वारा एक राय होकर अवैध असलहों से जानलेवा फायरिंग की गई तथा लोहे की रॉड से हमला किया गया। फायरिंग के दौरान बाजार में दो राहगीर – आलोक पटेल एवं आमिर सुहैल को भी गोली लग गई । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 179/25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115(2)/61(2)/109(1)/351(3)बीएनएस व 7CLA ACT बनाम 09 नामजद व्यक्तियों व कुछ अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था । पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की गईं । गठित टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही, घटना से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया ।

उक्त अभियोग में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा की गई सतत एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप अब तक इससे पूर्व कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। घटना में संलिप्त अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है तथा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किए जाने के प्रयास प्रचलित हैं।

उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था । इसी क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक- 19.06.2025 को 25000/- रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज, परिक्षेत्र श्री अजय कुमार मिश्र द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कठोर कार्यवाही करते हुए थाना पट्टी के अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू के विरुद्ध दिनांक- 26.06.2025 को 50000/- रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

दिनांक 30.06.2025 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी के उ0नि0 शुभम सिंह व हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव व एसटीएफ टीम प्रयागराज - निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अजय सिंह यादव, हे0का0 साजित अली, हे0का0 प्रवीण पाण्डेय, हे0का0 रामलखन पाल की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 179/25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115(2)/61(2)/109(1)/ 351 (3)बीएनएस व 7CLA ACT में वांछित चल रहा 50000/- का इनामिया अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू पुत्र आबाद अली उर्फ औलाद निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कलियनापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-
1. अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू पुत्र आबाद अली उर्फ औलाद निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू पुत्र आबाद अली उर्फ औलाद निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 245/20 धारा 392/286 भादवि थाना कोहडौर, प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 759/20 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 169/21 धारा 307/393/504 भादवि थाना कोहडौर, प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 84/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 333/22 धारा 2/3 यूपी गैगे0 एक्ट थाना दिलीपपुर, प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 258/23 धारा 307/286 भादवि थाना अंतू, प्रतापगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 368/20 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 737/18 धारा 147/286/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
9. मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 310/21 धारा 120बी/302/307/34 भादवि थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 393/21 धारा 147/148/149/286/307 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-
थाना पट्टी पुलिस- उ0नि0 शुभम सिंह व हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

एसटीएफ टीम प्रयागराज- निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अजय सिंह यादव, हे0का0 साजित अली, हे0का0 प्रवीण पाण्डेय, हे0का0 रामलखन पाल ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

सरकारी धनराशि गबन एवं शौचालय निर्माण में अनियमितता के मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार— मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही

अभियुक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दादूपुर कायस्थपट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा मजदूरी कन्वर्जन से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना था। किन्तु जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत बुढौराकुम्मापुर, खेमईपुर, सराय जमुनी, सराय शेरखां एवं जरियारी में शौचालय निर्माण कार्य अपूर्ण पाए गए। जांच में इन ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये की सरकारी धनराशि का गबन तथा निर्माण कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आईं। उक्त प्रकरणों में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी शिवगढ़ की आख्या पर संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन ग्राम प्रधानों, सचिवों एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिसके संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 67 / 24 धारा 409 भादवि बनाम 09 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 हरिमोहन

राजपूत मय हमराह का0प्रदीप कुमार, का0 योगेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-125/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त 01 राजेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी मरियमपुर थाना पट्टी जिला- प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दादूपुर कायस्थपट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. राजेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी मरियमपुर थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का0प्रदीप कुमार, का0 योगेन्द्र यादव थाना रानीगंज प्रतापगढ़ ।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ

जमीनी रंजिश में जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी — घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद

अभियुक्त को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत शिवगढ तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 29.06/2025 को वादी अपने घर पर दीवार निर्माण करवा रहा था, तभी गांव के अंजनी पाण्डेय पुत्र स्व0 हरिशंकर पाण्डेय आदि 10 आरोपीगण द्वारा जमीनी रंजिश में एक राय होकर जान से मारने नियत से धारदार हथियार से वादी के घर आकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर हमला कर दिए । जिसके संंबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 3(5),115(2),352,109,333 बीएनएस बनाम 10 नामजद व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व नें उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय मय हमराह का0 कुलदीप सिंह व का0 राहुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 3(5), 115(2),352,109,333 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त 01 अंजनी पाण्डेय पुत्र हरिशंकर पाण्डेय निवासी कोनी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत शिवगढ तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 29.06.2025 को मेरे पडोसी के परिवार से मार पीट हो गया था । जिसमे मेरे भांजे अमित पाण्डेय ने फावडा से हमला किया था । सिर फट गया गया था । मै अपने भांजे अमित पाण्डेय के हाथ से फावडे को छीन कर डर के मारे ले जाकर कोनी पेट्रोल पंप से आगे सडक के बाये तरफ अर्धनिर्मित मकान के पीछे छुपा दिया हूँ । अगर आप लोग चाहे तो बरामद करा सकता हूं । अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद फावड़ा बरामद किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंजनी पाण्डेय पुत्र हरिशंकर पाण्डेय निवासी कोनी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय मय हमराह का0 कुलदीप सिंह व का0 राहुल कुमार थाना कंधई प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

हत्या का प्रयास,मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत तारापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 24.04.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत जेठवारा ग्राम आशापुर, बाना जेठवारा,जिला प्रतापगढ़ में वादिनी व वादिनी की परिजनों के ऊपर बच्चों-बच्चों के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा घर में घुसकर लाठी, डण्डा, धारदार हथिहार से हमला किया गया । जिस कारण वादिनी के परिजनों को गम्भीर चोंटे आई । जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/ 2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/351(3)/115 (2)/333 बीएनएस बनाम 09 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 95/ 2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/351(3)/115 (2)/333 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों, 01.अनुराग पटेल पुत्र राम आसरे पटेल 2.भाईलाल पटेल पुत्र रामधनी पटेल निवासीगण ग्राम आशापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत तारापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. अनुराग पटेल पुत्र राम आसरे पटेल उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम आशापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।
2.भाईलाल पटेल पुत्र रामधनी पटेल उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम आशापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने, मारपीट करने व डराने-धमकाने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्त मो0 अकलीस उर्फ ननकऊ को थाना क्षेत्रान्तर्गत नूरपुर नहर पुलिया से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 25.06.2025 को वादी लेखपाल के पद पर सदर तहसील सरकारी कार्य करने जा रहा था । आरोपीगणों द्वारा कार्य सरकार के दौरान वादी को गाली- गलौज, मारपीट, धमकी देने व लोक सेवक पर हमला करने के प्रकरण में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 141/2025 धारा 191 (2)/115(2)/132/121(1)/352/351(3)/126 (2) बीएनएस व 3 (1) / 3 (1) ध/3(2)(va) SC/ST Act बनाम 01 नामजद व 04 व्यक्ति अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में व0उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराह हे0का0 शोभनाथ राम, का0 अरविन्द कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो0 अकलीस उर्फ ननकऊ पुत्र मंसूर अहमद नि0 ग्राम मिश्रपुर मुस्तर्का थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रांतर्गत नूरपुर नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 अकलीस उर्फ ननकऊ पुत्र मंसूर अहमद नि0 ग्राम मिश्रपुर मुस्तर्का थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
व0उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराह हे0का0 शोभनाथ राम, का0 अरविन्द कुमार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा सक्रिय 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना लालगंज पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा हत्या, हत्या का प्रयास व गैंगस्टर एक्ट आदि जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

अभियुक्त गैंगलीडर विपिन तिवारी पुत्र छेदीलाल तिवारी पर जनपद प्रतापगढ़ में हत्या, हत्या का प्रयास,गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन कुल 03 अपराध दर्ज है-

गैंग सदस्य अभियुक्त 1-सचिन मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर, 2-अम्बिकेश तिवारी पुत्र छेदीलाल तिवारी,3-मनीष शुक्ला पुत्र त्रियुगीनारायण पर जनपद जनपद प्रतापगढ में हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध दर्ज है-

प्रतापगढ़ ।
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज डॉ0 श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है ।

थाना लालगंज-
अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल निर्देशन में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर/सदस्य 1 - विपिन तिवारी पुत्र छेदीलाल तिवारी नि०ग्राम वीरसिंहपुर, जंगल, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष, (गैंग सदस्य)1 - सचिन मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर नि०ग्राम सरायनाभ, मजरे बैरमपुर, थाना सलोन, जनपद रायबरेली, उम्र 26 वर्ष, 2 - अम्बिकेश तिवारी पुत्र छेदीलाल तिवारी नि0ग्राम वीरसिंहपुर, जंगल, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 41 वर्ष, 3- मनीष शुक्ला पुत्र त्रियुगीनारायण नि०ग्राम जूही, शुकुलपुर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र-26 वर्ष के विरूद्ध थाना लालगंज में मु0अ0सं0- 240/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्तों द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके हत्या, हत्या का प्रयास व गैंगस्टर एक्ट आदि के अपराधों को कारित किया है । 01 अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं। टीमे गठित कर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है । शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी ।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
01- गैंगलीडर विपिन तिवारी पुत्र छेदीलाल तिवारी नि०ग्राम वीरसिंहपुर, जंगल, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1-मु.अ.सं. 292/2015 धारा 307,323,506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2-मु.अ.सं. 317/2024 धारा 103(1), 109(1), 324(4), 351(3), 61(2)भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
3-मु0अ0सं0- 240/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

2- (गैंग सदस्य) सचिन मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर नि०ग्राम सरायनाभ, मजरे बैरमपुर, थाना सलोन, जनपद रायबरेली, उम्र 26 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1-मु.अ.सं. 317/2024 धारा 103(1), 109(1), 324(4), 351(3), 61(2)बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2-मु0अ0सं0- 240/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

3- (गैंग सदस्य) अम्बिकेश तिवारी पुत्र छेदीलाल तिवारी नि0ग्राम वीरसिंहपुर, जंगल, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 41 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1-मु.अ.सं. 317/2024 धारा 103(1), 109(1), 324(4), 351(3), 61(2)बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु0अ0सं0- 240/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

4- (गैंग सदस्य) मनीष शुक्ला पुत्र त्रियुगीनारायण नि०ग्राम जूही, शुकुलपुर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र-26 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1-मु.अ.सं. 317/2024 धारा 103(1), 109(1), 324(4), 351(3), 61(2)बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2-मु0अ0सं0- 240/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- जनपद में अपराध एवं अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराधियों की अवैध गतिविधियों को चिन्हित कर उनकी संपत्तियों की कुर्की व उनकी आपराधिक गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। अपराध की दुनिया में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

जनता से अपील है कि वह भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन करें एवं किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जनपद की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है।